राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2221590, Email ID: stateinventorycell@gmail.com

F.No. F.37(4)/NHM/IM/2017/ 8447 Date: 14-3-17

मिटिंग मिनट्स

बायोमेडिकल इक्विपमेंट रिपेयर एवं मेंटेनेंस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए दिनांक 09.03. 2017 को प्रातः 11 बजे प्रमुख शासन सचिव महोदया की अध्यक्षता में स्वयं के कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. प्रबंध निदेशक – आरएमएससी
2. निदेशक – जनस्वास्थ्य
3. कार्यकारी निदेशक (ईपीएम), आरएमएससी
4. एजीएम–आई.टी., आरएमएससी
5. राज्य नोडल अधिकारी, इन्वेन्ट्री, एन.एच.एम.
6. बायो मेडिकल इन्जीनियर, सॉफ्टवेयर, आरएमएससी
7. सी–डैक प्रतिनिधि
8. प्रबंध निदेशक–केटीपीएल
9. केटीपीएल प्रतिनिधि

बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गएः–

1. ई–उपकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले बायोमेडिकल उपकरणों के बेहतर प्रबंधन एवं जिलों में आ रही समस्याओं के निवारण हेतु केटीपीएल के राज्य स्तर पर कार्यरत प्रतिनिधि हर दूसरे दिन इन्वेंट्री सैल के साथ 2 घंटे कार्य एवं फिल्ड के साथ समन्वय करेंगे।
2. केटीपीएल के द्वारा प्रस्तुत 1043 उपकरण जो 31 अगस्त, 2017 को खराब थे। उसकी स्थिति एवं निर्देश निम्नानुसार हैः–

उपकरणों की स्थिति	प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा दिए गए निर्देश
240 उपकरण जो कन्डमनेशन के लिए चिन्हीत् किए गए	क्या इन उपकरणों के संस्था के द्वारा कन्डमनेशन कर दिया गया है या कन्डमनेशन की जाने वाली सूची में सम्मिलित कर लिया गया हैं। *(जिम्मेदारीः– निदेशक–जनस्वास्थ्य एवं राज्य नोडल अधिकारी–इन्वेंट्री)*
52 उपकरण जो संस्थान में पाए नहीं गए	यदि उपकरण की प्रविष्टि ई–उपकरण में गलत थी तो क्या उन्हें ई–उपकरण से डिलीट कर दिया गया है। *(जिम्मेदारी– एजीएम आईटी, आरएमएससी, राज्य नोडल अधिकारी–इन्वेंट्री एवं बायोमेडिकल इंजीनियर–सॉफ्टवेयर, आरएमएससी)*

4 उपकरण उपयोग में नहीं लिए जा रहे है	क्या इनका उपयोग शुरू हो गया है या अन्य कोई कार्यवाही की गई है। *(जिम्मेदारी–निदेशक–जनस्वास्थ्य एवं राज्य नोडल अधिकारी–इन्वेंट्री)*
4 उपकरणों के स्पेयर पार्ट उपलब्ध नहीं है	क्या आज दिनांक को इन उपकरणों के स्पेयर पार्ट उपलब्ध करवा कर इसे चालू कर दिया गया हैं। *(जिम्मेदारी– केटीपीएल बायोमेडिकल इंजीनियर)*
63 उपकरण जिनके खराब होने का कारण स्पष्ट नहीं है	वर्तमान स्थिति से अवगत करवाए। *(जिम्मेदारी– राज्य नोडल अधिकारी–इन्वेंट्री एवं केटीपीएल बायोमेडिकल इंजीनियर)*

उक्त उपकरणों की स्थिति के बारे में केटीपीएल के द्वारा इन्वेंट्री सैल को 14 मार्च, 2017 तक अवगत करवाया जाएगा।

3. केटीपीएल के द्वारा प्रस्तुत बारकोडेड बायोमेडिकल उपकरण जिनकी प्रविष्टि ई–उपकरण में की गई है, का प्रमाणीकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया जाना है की स्थिति के बारे राज्य नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 14 प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों एवं 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए है। इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रमाणीकरण का कार्य शीघ्र ही पूर्ण करवाया जाना हैं। जिन प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उनकी स्थिति से दिनांक 28.03.2017 को जिलों से होने वाली वीडीयों कान्फ्रेंसिंग से पूर्व सूची प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही निदेशक–जनस्वास्थ्य के द्वारा सम्बन्धित संस्थानों को निर्देशित करने के लिए कहा गया। इस कार्य के लिए जिन संस्थानों से प्रमाणीकरण की सूची प्राप्त नहीं हुई है, उनकी सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को राज्य नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी तथा संभाग स्तर पर संभागीय बायोमेडिकल इंजीनियर प्रमाणीकरण के लिए संस्थानों से फॉलो अप करेंगे। संलग्नः– उपरोक्तानुसार
4. डेटा क्लीनिंग जिन संस्थानों में किसी भी उपकरण की प्रविष्टि गलत उनको सही करवाया जाए। किसी भी उपकरण को ई–उपकरण में डिलीट करने से पूर्व संस्था प्रभारी से हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त कर किया जाए।
5. दिनांक 28.03.2017 को होने वाली वीडीयों कान्फ्रेंसिंग में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करने के लिए कहा गयाः–
    a. केटीपीएल बारकोडेड उपकरणों के प्रमाणीकरण की स्थिति।
    b. ई–उपकरण सॉफ्टवेयर पर कार्य कर रहे सूचना सहायक एवं डेटा एन्ट्री ऑपरेटर को शीघ्रता से बार–बार नहीं बदलने के लिए कहा जाना।
    c. कन्डमनेशन के लिए चिन्हीत् उपकरणों की कन्डमनेशन की स्थिति।
    d. जिलेवार दर्ज शिकायतों की स्थिति (संस्था के प्रकार अनुसार)।

6. केटीपीएल के द्वारा कुछ अनरजिस्टर्ड शिकायत पर बायोमेडिकल उपकरणों को ठीक किया गया। इस पर महोदया ने यह निर्देशित किया गया कि मौके पर ही केटीपीएल इंजीनियर द्वारा शिकायत दर्ज कर उपकरणों को ठीक कर दिया जाए।
7. चूंकि ई–उपकरण में IVRS कॉल पर शिकायत दर्ज होने से पूर्व (28.02.2017) में दर्ज होने वाली टोल फ्री नम्बर पर शिकायतों को ई–उपकरण में नहीं देखा जा सकता है। इस हेतु महोदया ने आईटी सैल को निर्देशित किया कि इस डेटा को ई–उपकरण में सम्मिलित करने के लिए कहा। साथ ही केटीपीएल द्वारा पूर्व में दर्ज शिकायतों की सूचना आईटी सैल आरएमएससी को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।
8. फिल्ड से कुछ उपकरणों के रिपेयर एवं मेंटेनेंस केटीपीएल के द्वारा की जा रही देरी के बारे में महोदया को अवगत करवाने पर, केटीपीएल ने अवगत करवाया कि इन उपकरणों में होने वाली देरी का कारण एसेसरी और कन्जयूमेबल्स् की सूची में न होना, स्पेयर पार्ट की अनुप्लब्धता और उपकरण निर्माताओं के द्वारा सहयोग न करने के बारे में बताया गया। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए:–
    a. केटीपीएल के द्वारा कारणों को पहचान कर शीघ्रता से ठीक किया जावे।
    b. जो निर्माता के स्पेयर पार्ट उपलब्ध नहीं करवा रह है या सहयोग नहीं कर रहे है, उन्हें प्रबंध निदेशक, आरएमएससी के स्तर पर बैठक कर उन्हें स्पेयर पार्ट की आपूर्ति करने के लिए कहा जाए। इस हेतु केटीपीएल के द्वारा सहयोग न करने वाले निर्माताओं की सूची प्रस्तुत की जाएगी।
    c. आरएमएससी के द्वारा क्रय किए जाने वाले उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ होने वाली टेण्डर प्रक्रिया में स्पेयर पार्ट उपलब्ध करवाने की शर्त को जोड़ा जाने का कार्यकारी निदेशक–ईपीएम को निर्देशित किया गया।
    d. एसेसरी एवं कनज्यूमेबल की सूची के लिए कार्यकारी निदेशक–ईपीएम को केटीपीएल के साथ संयुक्त बैठक कर अंतिम रूप देने के लिए निर्देशित किया गया।
    e. कई संस्थानों में उपकरण केटीपीएल के द्वारा Physical damage कह कर रिपेयर नहीं किए जा रहे हैं। इस हेतु Case to case basis पर जांच कर प्रबंध निदेशक, आरएमएससी को निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया गया।
9. केटीपीएल के द्वारा अवगत करवाया गया कि कई उपकरणों के लिए light fluctuation, earthing इत्यादि की समस्रा के वजह से उपकरण बार–बार खराब होने की संभावाना रहती है। इस सम्बन्ध में केटीपीएल को इस तरह के संस्थानों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया एवं निदेशक–जनस्वास्थ्य ने इस कार्य को उपलब्ध बजट से प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाएगा।
10. केटीपीएल के द्वारा भुगतान के लिए महोदया से निवेदन किया गया। इस सम्बन्ध में प्रबंध निदेशक, आरएमएससी ने अवगत करवाया कि दिनांक 17.02.2017 को केटीपीएल द्वारा बिल प्रस्तुत किए गए हैं। आज दिनांक तक संस्थनों से डेटा प्रमाणीकरण के अभाव में बिल भुगतान नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में, प्रमुख शासन सचिव महोदया ने निर्देशित

किया कि इस कार्यक्रम में कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं स्पेयर पार्ट और अन्य उपकरणों की आवश्यकता को देखते हुए केटीपीएल को 2 दिवस में प्रस्तुत बिल की 60 प्रतिशत राशि अन्तरिम भुगतान किया जाए।

11. केटीपीएल के द्वारा 19 संस्थानों की सूची में आ रही कुछ समस्याओं के बारे में बताया गया। इस बारे में आईटी सैल के द्वारा शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा गया एवं केटीपीएल को इन संस्थानों के नाम मय सम्पर्क सूत्र आईटी सैल को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।
12. ई–उपकरण के डेटा विश्लेषण के संबन्ध में निर्देश दिए। इस हेतु एजीएम–आईटी को ई–उपकरण में डैश बोर्ड उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया। इस कार्य में राज्य नोडल अधिकारी एवं बायोमेडिकल इंजीनियर को सहयोग करने के लिए कहा (डेटा का प्रस्तुतिकरण जिलेवार, संस्थावार, उपकरण अनुसार, क्रिटिकल एवं नॉन–क्रिटीकल एवं शिकायत इत्यादि के तौर पर हो सकता हैं।
13. केटीपीएल के द्वारा उनके कर्मिको के लिए ई–उपकरण के प्रशिक्षण के लिए अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में महोदया के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई।
14. केटीपीएल के द्वारा अवगत करवाया गया कि चिकित्सा संस्थानों के द्वारा उपकरणों की सर्विस रिपोर्ट में संस्थान प्रभारी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाता हैं। इस सम्बन्ध में प्रबंध निदेशक, आरएमएससी ने कहा कि सर्विस रिपोर्ट में कुछ आवश्यक संशोधन कर सभी प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में निदेशक–जनस्वास्थ्य की तरफ से भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाएगा।
15. आरएमएससी के ईपीएम अनुभाग एवं इन्वेंट्री सैल, एनएचएम में आवश्यक मानव संसाधन एवं कम्प्यूटर, प्रिंटर इत्यादि के कहे जाने पर महोदया ने प्रबंध निदेशक, आरएमएससी को उक्त मानव संसाधन एवं कम्प्यूटर, प्रिंटर इत्यादि को उपलब्ध करवाने एवं कर्मिकों के बैठने की व्यवस्था हेतु स्थान चिन्हीत् करने के लिए निर्देशित किया ।
16. इस कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर से स्टेट नोडल अधिकारी–इंवेंट्री एवं एससीएम और ज़ोनल स्तर पर संभागीय बायोमेडिकल इंजीनियर्स को मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
17. प्रबंध निदेशक, केटीपीएल के द्वारा स्थापन्ना मूल्य और परियोजना में कार्य कर रहे कार्मिको के स्थायित्व को देखते हुए अनुबंध को आगे 18 माह और बढ़ाने के लिए निवेदन किया गया। इस सम्बन्ध में कार्यकारी निदेशक–ईपीएम ने बताया कि अनुबंध की अवधि 18 माह की हैं और इसकी समाप्ति पर गुण और दोष के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रावधान हैं। इस सम्बन्ध में महोदया ने निर्देशित किया कि आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों एवं टेण्डर की शर्तानुसार उचित निर्णय लिया जाएगा।

(ओम कसेरा)
प्रबंध निदेशक
आरएमएससी

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक–जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त संभाग, राजस्थान।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिलें, राजस्थान।
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला नोडल अधिकारी, समस्त जिलें, राजस्थान।
9. हैल्थ मैनेजर, जिला अस्पताल, समस्त राजस्थान।
10. ज़ोनल बायोमेडिकल इंजीनियर, समस्त राजस्थान।
11. उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वास्ते पालनार्थ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी–डैक।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केटीपीएल।
14. कम्प्यूटर /सर्वर रूम को वास्ते ईमेल।
15. रक्षित पत्रावली

राज्य नोडल अधिकारी
इन्वेंट्री एवं एससीएम